डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2002—पौष 14, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2001

क्रमांक 726/2001/1-8/स्था.—श्री ए. के. द्विवेदी, उप-सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 23-8-2001 से 5-9-2001 तक 14 दिन एवं दिनांक 5-11-2001 से 16-11-2001 तक 12 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 22-8-2001, 4-11-2001 एवं 17, 18-11-2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. द्विवेदी, उप-सचिव को पुन: आगामी आदेश तक अनुसूचित जाति, आदिमजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री ए. के. द्विवेदी को अवकाश वेतन व

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश से जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. द्विवेदी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2001

क्रमांक स.क./नशाबंदी/1/2001/2187.—विभाग की अधिसूचना क्रमांक 772/स.क./नशाबंदी/01/2001, दिनांक 28-8-2001 द्वारा राज्य स्तरीय नशाबंदी मण्डल में सरल क्रमांक-11 (तीन) पर अंकित श्रीमती गुरूमीत धनई भिलाई जिला दुर्ग के स्थान पर सुश्री इंग्रेड क्रिस्टीन मैक्लाउड मनोनीत विधायिका को सदस्य मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2001

क्रमांक 5807/1594/21-ब/(छ.ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेशकुमार चन्द्रवंशी पुत्र श्री मुन्नीराम चंद्रवंशी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये कवर्धा सत्र खण्ड के राजनांदगांव राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2001

क्रमांक 6283/21-ब (छग)/2001.—राज्य शासन, विविध याचिका क्रमांक-1992/2001-श्री एम. डी. माहिलकर, विरुद्ध उच्च न्यायालय, म. प्र. एवं 3 अन्य में म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर की गई याचिका में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने हेतु श्री प्रेम फ्रांसिस, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक की अवधि के लिए रुपए 1500/- (रुपए एक हजार पांच सौ) केवल प्रति सुनवाई निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरूपंच, उप-सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ/6/38/2001/वा. कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा श्री पी. पट्टावी, उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर को अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, आबकारी के पद पर वेतनमान रुपये 14300-400-18300 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर अपर आयुक्त आबकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. (i) पदोन्नत अपर आयुक्त, आबकारी द्वारा आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प दिया जाएगा कि :—

(क) उपायुक्त, आबकारी के पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूल नियम 22-डी के अंतर्गत अपर आयुक्त, आबकारी के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

अथवा

(ख) अपर आयुक्त, आबकारी के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित कर दिया जाय और दूसरी बार उपायुक्त आबकारी के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाय.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा

पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

3. इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

4. उक्त पदोन्नतियां प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर होने से आरक्षण नियमों के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ/6/82/2001/वा. कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित सहायक आयुक्त, आबकारी को अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त उपायुक्त, आबकारी के पद पर वेतनमान रुपये 14300-400-18300 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सामने कालम 3 में दर्शाये अनुसार पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना (3)
1.	श्री जे. आर. कश्यप सहायक आयुक्त, आबकारी बिलासपुर.	उपायुक्त, आबकारी कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर.
2.	श्री पी. एल. वर्मा, सहायक आयुक्त, आबकारी रायपुर.	उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता (श्री पट्टावी उपायुक्त की पदोन्नति से रिक्त पद पर).

2. (i) पदोन्नत उपायुक्त, आबकारी द्वारा आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प दिया जाएगा कि :—

(क) सहायक आयुक्त, आबकारी के पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूल नियम 22-डी के अंतर्गत उपायुक्त, आबकारी के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

अथवा

(ख) उपायुक्त, आबकारी के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित कर दिया जाय और दूसरी बार सहायक आयुक्त, आबकारी के वेतन-मान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाय.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

3. इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

4. उक्त पदोन्नतियां प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर होने से आरक्षण नियमों के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2001

क्रमांक 2637/स./ऊ.वि./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति निम्नानुसार घोषित करता है :—

विषय :— राज्य शासन की ऊर्जा नीति.

I. प्रस्तावना :—किसी भी विकासशील राज्य के आर्थिक विकास के लिए विश्वसनीय एवं सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा ऊर्जा की खपत राज्य में कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक (indicator) है. ऐतिहासिक कारणों से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा राज्य है. राज्य में पारेषण एवं वितरण संबंधी अधोसंरचना भी अत्यंत सीमित है. 1 नवम्बर, 2001 से पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य के गठन ने राज्य में कृषि एवं उद्योग के विकास की संभावनाओं को खोल दिया है, अत: इन संभावनाओं को मूर्तरूप देने हेतु एक व्यवहारिक ऊर्जा नीति अत्यंत आवश्यक है.

II. वर्तमान परिदृश्य :—छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है. राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है तथा आबादी का लगभग 32 प्रतिशत आदिवासी है. राज्य में विद्युतीकृत ग्राम लगभग 90 प्रतिशत है. शेष ग्रामों में से अधिकांश आदिवासी एवं वन बाहुल्य ग्राम हैं. राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र लगभग 17 प्रतिशत होने से अधिकांश बोया गया क्षेत्र वर्षा-आधारित है. उद्योग की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ अत्यंत पिछड़ा राज्य है.

प्रदेश में राज्य विद्युत मण्डल की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट है. जिसमें 1240 मेगावाट तापीय तथा 120 मेगावाट जल विद्युत है. इस प्रकार जल विद्युत क्षमता कुल क्षमता का केवल 9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत है. राज्य में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक विद्युत खपत मात्र 300 यूनिट है, जो राष्ट्रीय औसत (400 यूनिट) तथा अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है. राज्य में बिजली की कुल खपत का लगभग 64 प्रतिशत उच्च दाब (HT) उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है तथा कृषि हेतु खपत मात्र लगभग 10 प्रतिशत है.

अविभाजित मध्यप्रदेश के निम्न दाब (LT) नेटवर्क का मात्र 14 प्रतिशत तथा उच्च दाब नेटवर्क का 21 प्रतिशत ही छत्तीसगढ़ राज्य में है,जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल अविभाजित मध्यप्रदेश का लगभग 30 प्रतिशत है. पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की इस कमी के कारण राज्य के अनेक क्षेत्रों में कम वोल्टेज की गंभीर समस्या है.

III. उद्देश्य :—छत्तीसगढ़ राज्य सौभाग्यशाली है कि वर्तमान में प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस है तथा यहां कोयले पर आधारित बिजली के उत्पादन की काफी संभावनाएं है, किन्तु राष्ट्रीय परिदृश्य को देखें तो देश के अनेक राज्यों में बिजली का गंभीर संकट है. अत: राज्य में उपलब्ध कोयले के प्रचुर भण्डार को देखते हुए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक ''ऊर्जा राज्य'' के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां से बिजली उत्पादन के बाद अन्य राज्यों को उपलब्ध कराई जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ में खनिज तथा वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है किंतु इनका योजनाबद्ध रूप से दोहन नहीं होने के कारण पिछले दशकों से कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में राज्य पिछड़ा रहा है. पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण कृषि एवं उद्योग को वाजिब दर पर सुनिश्चित बिजली की अनुपलब्धता है.

राज्य शासन प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों में निवासरत सभी वर्गों के लोगों को घरों में उपयोग हेतु तथा किसानों को कृषि हेतु वाजिब दरों पर सुनिश्चित बिजली उपलब्ध कराना चाहता है, जिससे वे अधिकाधिक बिजली का उपयोग कर सकें, राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए राज्य में प्रत्येक उद्योग को भी उनकी आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता की बिजली व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उद्योग फल-फूल सकें और राज्य औद्योगीकरण की दिशा में द्रुतगति से आगे बढ़े. राज्य की ऊर्जा नीति का मूल उद्देश्य इस स्थिति को बदल कर प्रदेश को विकास की दौड़ में अग्रसर कर विकसित राज्यों के समकक्ष लाना है.

IV. ऊर्जा नीति :—राज्य शासन उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नानुसार नीति निर्धारित करता है :—

1. विद्युतीकरण :—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत खपत राष्ट्रीय स्तर एवं अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष करने के लिए राज्य के सभी ग्रामों एवं मजरा-टोलों तक सुनिश्चित बिजली पहुंचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसके लिए पारेषण एवं वितरण संबंधी सभी आवश्यक अधो-संरचना का विकास किया जाएगा. राज्य के एक बड़े भाग में वनों के कारण विद्युतीकरण में आने वाली समस्या को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अपरंपरागत स्रोतों से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप—

(अ) प्रदेश के सभी ग्रामों एवं मजरा-टोलों का विद्युतीकरण दसवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक, तथा

(ब) प्रदेश के हर घर में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत प्रदाय किया जाएगा.

2. कृषि हेतु ऊर्जा :— राज्य के आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका तथा सिंचाई के स्रोतों की अल्प उप-लब्धता को देखते हुए कृषि पंपों के ऊर्जीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी. जहां पंप हेतु लाईन उपलब्ध हैं, वहां किसानों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् एक निश्चित अवधि में पंपों का ऊर्जीकरण किया जाएगा. अन्य सभी क्षेत्रों में कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यकता अनुसार पारेषण एवं वितरण संबंधी अधोसंरचना का विकास किया जाएगा. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु वर्तमान प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया जायेगा. प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जल उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु भी बिजली प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएगी.

3. उद्योग हेतु ऊर्जा :— राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उद्योगों को अपेक्षित गुणवत्ता की बिजली ऐसी दरों पर उपलब्ध रहे, जिससे उद्योग Viable रहे. अत: राज्य शासन उद्योगों को वाजिब दरों पर सुनिश्चित बिजली उपलब्ध कराएगा ताकि उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से इस राज्य में आकर्षित हो सके व टिक सके, बंद पड़े उद्योगों को भी पुनर्जीवित करने के लिए एक अलग पैकेज बनाया जाएगा.

3 (अ) उद्योग हेतु कैप्टिव प्लांट :—सामान्यत: कैप्टिव पावर प्लांट की आवश्यकता उस परिस्थिति में होती है, जब बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित न हो. वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली के मामले में सरप्लस है, किंतु

भविष्य में मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए तथा अन्य राज्यों की मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में शासन के नीति निर्देश निम्नानुसार हैं :—

(i) छत्तीसगढ़ को ऊर्जा राज्य बनाएं जाने की राज्य शासन की मंशा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन कैप्टिव प्लांट के माध्यम से उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा तथा कैप्टिव प्लांट से उत्पादन की अनुमति देने पर उदारतापूर्वक विचार करेगा.

(ii) कैप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को अपनी ही किसी अन्य इकाई (सिस्टर कन्सर्न) को विद्युत विक्रय की अनुमति दी जाएगी, किन्तु राज्य में स्थित थर्ड पार्टी को विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(iii) कैप्टिव पावर प्लांट धारक द्वारा बिजली का विक्रय अन्य राज्यों को करने की दशा में राज्य विद्युत मण्डल तथा राज्य शासन हर संभव सहायता करेगा. यह विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के माध्यम से होगा किन्तु क्रेता राज्य/संस्था ढूंढने का उत्तरदायित्व कैप्टिव पावर प्लांट धारक का ही होगा. कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत क्रय की दर यथा संभव आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी.

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली का क्रय तभी करेगा जब उसे आवश्यकता होगी. क्रय की दर का निर्धारण अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली बिजली की दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

4. विद्युत उत्पादन :— राज्य में कोयला एवं पानी की विपुल उपलब्धता के कारण कोयला आधारित बिजली उत्पादन की काफी क्षमता है. अपरंपरागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन, विशेषकर जल विद्युत की भी राज्य में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं. वर्तमान में राज्य में विद्युत मण्डल के संयंत्रों की कुल क्षमता 1360 मेगावाट है. तथा सभी स्त्रोतों से मिलाकर औसत उपलब्धता लगभग 1450 मेगावाट के विरुद्ध औसत मांग 1100-1200 मेगावाट है. एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010-11 के अंत में अधिकतम मांग लगभग 2120 मेगावाट हो जाएगी. अगले 10 वर्षों में राज्य में बिजली की आवश्यकता तथा अन्य राज्यों की आवश्यकता को भी दृष्टिगत रखते हुए विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :—

(i) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विद्युत मण्डल के विद्यमान उत्पादन संयंत्र जो अत्यधिक पुराने हैं, का आधुनिकीकरण कर, पी. एल. एफ. में सुधार लाते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाएगा. मार्च 2003 तक 80 प्रतिशत PLF की प्राप्ति की जाएगी.

(ii) राज्य में कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए तथा राष्ट्रीय परिदृश्य पर अनेक राज्यों में बिजली की कमी एवं विद्युत उत्पादन में लगने वाले वृहद निवेश को देखते हुए राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु अन्य राज्यों/शासकीय उपक्रमों द्वारा निवेश के साथ-साथ निजी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा. आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा भी विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जाएगी. राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् सरप्लस बिजली को बिजली उत्पादकों द्वारा अन्य राज्यों को विक्रय हेतु राज्य शासन हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा. अन्य राज्यों को विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के माध्यम से होगा किन्तु क्रेता राज्य/संस्था के चयन का उत्तरदायित्व बिजली उत्पादक का होगा.

(iii) इन्द्रावती नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना, जो वर्तमान में रूकी पड़ी है, को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा. इसी प्रकार राज्य में जल विद्युत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, विभिन्न स्थलों पर पर्याप्त जल संसाधनों को उपलब्धतानुसार जल विद्युत परियोजनाओं हेतु चिन्हित किया जावेगा तथा जल विद्युत उत्पादन हेतु निजी निवेश को भी आमंत्रित किया जाएगा. जहां संभव हो वहां अशासंकीय संस्थाओं एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

(iv) जल विद्युत के अलावा अन्य अपरम्परागत स्त्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियो थर्मल, बायोमास आदि द्वारा विद्युत उत्पादन की भी व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इन स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी.

5. ऊर्जा क्षेत्र में सुधारात्मक परिवर्तन (Power sector Reforms) :— ऊर्जा के क्षेत्र में शासन/विद्युत मण्डल के काफी लंबे एकाधिकार के कारण तथा नीतिगत दोषों के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण सभी क्षेत्र अक्षमता (inefficiency) के शिकार हो गए हैं तथा विद्युत मण्डलों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी है, जिसके

कारण वे अपेक्षित निवेश करने में असमर्थ हैं. यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती तथा बिजली के क्षेत्र में सुधार अब अपरिहार्य हो गया है. विद्युत क्षेत्र में सुधार के संबंध में राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन निम्नानुसार कार्यवाही करेगा :—

(i) राज्य के लिए पृथक् राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory commission) का गठन किया गया है. इसे प्रभावी बनाया जाएगा.

(ii) वर्तमान में प्रभावशील विद्युत दरों (Tariff) का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा.

(iii) शासन द्वारा उसके कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों से विद्युत मण्डल को हानि की दशा में उसकी पूर्ति बजट प्रावधान के माध्यम से अनुदान द्वारा की जाएगी.

(iv) विद्युत पारेषण व वितरण में होने वाली विद्युत हानि (Line Losses) में कमी लाने हेतु, सभी स्तर पर पारेषण व वितरण प्रणाली में प्रभावी मीटरीकरण किया जाएगा, ताकि विद्युत का सही लेखा जोखा रखा जा सके एवं संबंधित अधिकारी पर इसकी जवाबदारी निर्धारित की जा सके.

(v) विद्युत चोरी रोकने हेतु उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत मीटरीकरण किया जाना आवश्यक है. कार्य की व्यापकता को देखते हुए इसे चरणबद्ध रूप में सम्पन्न किया जाएगा.

(vi) विद्युत चोरी की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु शासन द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत एक तरफ जहां उड़न दस्तों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण तथा विद्युत चोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही, वहीं दूसरी तरफ विद्युत चोरी प्रकरण बताने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. इस हेतु आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की सेवाएं भी ली जाएगी.

(vii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को और अधिक सक्षम (Efficient) बनाने के लिए अन्य राज्यों द्वारा किए सुधार के अनुभवों के आधार पर तथा स्थानीय स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे.

(viii) पारेषण के क्षेत्र में निजी निवेश तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा.

(ix) वितरण के क्षेत्र में सुधार तत्काल आवश्यक है. प्रारंभ में कुछ क्षेत्र में विद्युत वितरण का कार्य निजी क्षेत्र में प्रयोग के बतौर दिया जाएगा.

6. गैर पारंपरिक ऊर्जा का विकास :—

(i) राज्य में अपरंपरागत स्रोतों—सौर ऊर्जा, बायोमास व बायोगैस, जल विद्युत आदि से ऊर्जा के उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं. अपरम्परागत स्रोत पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. अतः राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु, इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगाए जाने वाले पावर प्लांट की स्थापना को राज्य शासन प्रोत्साहित करेगा. ऐसी इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता पर कोई सीमा लागू नहीं होगी. इन इकाइयों को उत्पादित विद्युत के स्वयं उपयोग करने हेतु अनुमति दी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार तीसरी पार्टी को विक्रय की अनुमति पर भी विचार किया जाएगा. अपरंपरागत स्रोतों से उत्पादित बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा भी आवश्यकता अनुसार क्रय किया जाएगा.

(ii) ऐसे आदिवासी व दूर अंचलों में बसे ग्राम, जिसका विद्युतीकरण वन बाधा के कारण संभव नहीं है, उनका विद्युतीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा.

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों में अपरंपरागत स्रोतों से बिजली प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी.

(iv) गैर पारंपरिक ऊर्जा के उपयोगी उपकरण जैसे:— सोलर कुकर, सोलर लैम्प, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंखे, कृषि पंप, बायोगैस आदि को लोकप्रिय बनाने हेतु हर संभव सहायता दी जाएगी. इस उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय ''ऊर्जा पार्क'' की स्थापना भी की जाएगी.

7. ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन :— ऊर्जा के महत्व तथा ऊंची उत्पादन लागत को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि ऊर्जा का दुरूपयोग न सिर्फ रोका जाए, बल्कि मांग पक्ष का उचित प्रबंधन करते हुए, ऊर्जा का संरक्षण भी किया जावे. इसके लिए समुचित लोक जाग-रूकता, जिसके अंतर्गत ऊर्जा दक्ष कृषि पंप सेट, ऊर्जा

दक्ष बल्ब/ट्यूब आदि का उपयोग करना भी शामिल है, को राज्य शासन प्रोत्साहित करेगा.

8. उपभोक्ता संतोष :—राज्य शासन की यह स्पष्ट राय है कि बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ता का संतोष सर्वोपरि है. अत: सभी प्रकार के उपभोक्ताओं—कृषि, उद्योग, घरेलू तथा अन्य की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राज्य शासन ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण एक निश्चित समयावधि में हो. बिजली के बिल का सरलीकरण तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया में आधुनिक सूचना तकनीक तथा बैंकों के अधिकाधिक उपयोग के द्वारा सुधार लाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2001

क्रमांक 4959/1661/2001/चिशि.—छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम-1970 की धारा-20 (1) के प्रावधान के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. रक्षपाल गुप्ता, प्रदर्शक (द्रव्य गुण) शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2001

क्रमांक 93/स्थापना/अ/2001.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-17/बी/98/9/एक-भोपाल, दिनांक 30-9-99 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन कार्य नियमों के भाग-एक के नियम 6 (ख) के अनुसार अध्यक्ष, जिला योजना समिति के अनुशंसा पर जेल मेन्युअल के नियम 815 (5) में वर्णित प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय जेल रायपुर के लिये निम्नांकित महिलाओं को आगामी 3 वर्ष के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करते हैं. अध्यक्ष, जिला योजना समिति रायपुर जनहित में इन महिलाओं की नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं.

1. श्रीमती सुधा कसार, अधिवक्ता,
   कंकाली तालाब के पास, कंकालीपारा, रायपुर.

2. श्रीमती सरिता वर्मा, कार्पोरेटर,
   महामाई पारा वार्ड, पुरानी बस्ती, रायपुर.

अधीक्षक,
केन्द्रीय जेल, रायपुर (छ. ग.)

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 नवम्बर 2001

क्रमांक 8891/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	सीताडबरी प. ह. नं. 17	8.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 नवम्बर 2001

क्रमांक 8892/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	मैन्हर प. ह. नं. 17	1.61	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 नवम्बर 2001

क्रमांक 8893/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बुन्देली प. ह. नं. 17	1.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 नवम्बर 2001

क्रमांक 8894/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	पंडरिया प. ह. नं. 18	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 नवम्बर 2001

क्रमांक 8895/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	भरदागोंड़ प. ह. नं. 18	20.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 नवम्बर 2001

क्रमांक 8896/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बिचारपुर प. ह. नं. 18	8.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/142.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कोटेतरा प. ह. नं. 17	3.499	कार्यपालन यंत्री हसदेव नहर संभाग सक्ती.	मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/143.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	अकलतरा प. ह. नं. 17	4.312	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर संभाग, सक्ती.	मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/144.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	चिस्दा प. ह. नं. 36	1.375	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/145.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	चिस्दा प. ह. नं. 29	1.404	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/146.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	हसौद प. ह. नं. 38	1.277	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/147.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	परसदा प. ह. नं. 30	1.172	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/148.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	परसदा प. ह. नं. 30	2.090	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/149.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	हसौद प. ह. नं. 26	0.830	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/150.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	अमोदा प. ह. नं. 37	0.652	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नकटाकला माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/151.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	मल्दाकला प. ह. नं. 23	5.166	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	मल्दाकला माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/152.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	डोमाडीह प. ह. नं. 39	1.476	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	डोमाडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/153.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	धिवरा प. ह. नं. 28	1.299	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	सोनादह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/154.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	परसदा प. ह. नं. 37	2.359	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	परसदा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/155.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	परसदा प. ह. नं. 30	1.171	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नकटाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/156.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	पेण्ड्रीसुकुल प. ह. नं. 26	2.235	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	पेण्ड्री माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/157.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	झरप प. ह. नं. 36	0.315	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	पेण्ड्री माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/158.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मुड़पार प. ह. नं. 15	1.885	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	हसौद माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/159.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	धमनी प. ह. नं.36	1.896	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नरियरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/160.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नरियरा प. ह. नं. 15	0.202	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नरियरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/161.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	मालखरौदा	भेड़ीकोना प. ह. नं.15	4.215	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नरियरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/162.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	हसौद प. ह. नं. 38	0.677	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	अमोदा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/163.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	धमनी प. ह. नं. 27	0.944	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नकटाकला माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/164.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 06	0.221	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/165.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	लखाली प. ह. नं.14	1.069	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2,चाम्पा.	लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 10 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 नवम्बर 2001

क्रमांक 1166/ले.पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	मुड़खुसरा प. ह. नं. 20	14.55	कार्यपालन यंत्री, तान्दुला संसाधन संभाग, दुर्ग.	हड़गहन फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 1 दिसम्बर 2001

क्रमांक 01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक,) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	कंचनपुर प. ह. नं. 19	0.943	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	कंचनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Bilaspur, the 21st September. 2001

No. 4118/II-15-21/2000.—The posting order of the following retired District Judges/Addl. District Judges issued *vide* High Court Order No. 1160/II-15-21/2001 dated 28-3-2001 on their re-appointment *vide* Law & Legislative Affairs Deptt. Order No. D-Q/21-B/(C.G.)/2001 dated 26-3-2001 is hereby cancelled in view of cancellation of their re-appointment orders *vide* Law & Legislative Affairs Department Order No. 3747/1893-21-B/C.G./2001 dated 24-7-2001 & Order No. 4445/D-2142/2154/21-B (C.G.)/2001 dated 29-8-2001.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted at (3)	Sessions Division (4)	Remarks (5)
1.	Shri B. P. Gouraha	Surajpur	Surguja	As II Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri M. S. Chouhan	Surajpur	Surguja	As III Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri N. K. Sharma	Bemetara	Durg	As IV Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri H. N. Awasthy	Bemetara	Durg	As V Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri D. S. Verma	Janjgir	Bilaspur	As II Additional District & Sessions Judge.
6.	Shri P. C. Misra	Kanker	Bastar	As III Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri R. S. Vidyarthi	Kanker	Bastar	As IV Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Chandrika Prasad	Ambikapur	Surguja	As IV Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri M. K. Mehta	Raigarh	Raigarh	As IV Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri K. K. Shrivastava	Surajpur	Surguja	As VII Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 12th October, 2001

No. 4510/II-15-13/2000.—As directed by Hon'ble the Chief Justice, the following Civil Judgês Class-II are ordered to attend the third round of institutional training in Judicial Officers' Training Institute, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur from 17-12-2001 to 22-12-2001 and they are further ordered to report for training before the Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur on 17-12-2001 by 12 Noon punctually and positively :—

1. Shri Sanjay Kumar Soni, 1st Civil Judge Class-II, Janjgir,
2. Shri Jitendra Kumar, IVth Civil Judge Class-II, Raipur,
3. Shri Maneesh Kumar Thakur, Vth Civil Judge Cl.-II, Bilaspur,
4. Shri Mohd. Rizwan Khan, VIIIth Civil Judge Class-II, Durg,
5. Shri Mansoor Ahmed, IIIrd Civil Judge Class-II, Jagdalpur,
6. Shri Vijay Kumar Hota, Civil Judge Class-II, Baloda Bazar.

2. As intimated by Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur, the above named Civil Judges are directed—

(a) that they will take with them the following Bare Acts or Acts with Commentary :—

(i) M. P. Civil Courts Act, 1958,

(ii) M. P. Civil Court Rules, 1961,

(iii) M. P. Rules and Orders (Criminal),

(iv) Indian Penal Code,

(v) Code of Criminal Procedure,

(vi) Code of Civil Procedure,

(vii) Evidence Act,

(viii) Fiscal Laws,

(ix) A book on jurisprudence, if available.

(b) that every Civil Judge Class-II shall send, well in advance, copies of order sheets commencing from the date of institution of the suit till the date when decree is signed. It may not be from one file only, but the order sheets may be assorted from different files. They should be consolidated so as to demonstrate the progress of a suit from the first order sheet to the last order sheet. Same should be done in respect of criminal cases. Only one set of order sheet of civil and criminal cases be sent. It is further directed that copy of issues framed in one civil suit, and copy of charge framed in one criminal case be also sent.

(c) that the Judges shall take with them at least 3 quires of white paper, two file covers with laces, and a register for taking down notes and also for doing home work which may be given to them during the training period.

(d) that the Judges shall attend the Training Institute in prescribed uniforms *i.e.*, black coat and black tie (not bands).

3. The Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur has intimated that efforts shall be made by him for lodging the Judges in Hotel Kalchury. He has also informed that the Judges, in order to avoid any inconvenience, should procure reservation in railway trains for their return journey well in advance.

4. The Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur has also intimated that the training periods shall daily commence at 10.30 a.m. and shall end at 5.00 p.m. except on the last day when it will commence at 9.30 a.m. and end at 1.30 p.m.

Bilaspur, the 12th October, 2001

No. 4512/II-15-13/2000.—As directed by Hon'ble the Chief Justice, the following Civil Judges Class-II are ordered to attend the third round of institutional training in Judicial Officers' Training Institute, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur from 7-1-2002 to 12-1-2002 and they are further ordered to report for training before the Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur on 7-1-2002 by 12 Noon punctually and positively :—

1. Ku. Saroj Nand Das, IXth Civil Judge Class-II, Raipur,
2. Shri Praveen Kumar Pradhan, VIIth Civil Judge Class-II, Durg,
3. Shri Khilawan Ram Rigri, IInd Civil Judge Class-II, Bemetara,
4. Shri Chammeshwar Lal Patel, IVth Civil Judge Class-II, Bilaspur,
5. Shri Vinod Kumar Dewangan, IVth Civil Judge Class-II, Raigarh,
6. Ku. Sanghratna Bhatpahari, VIIth Civil Judge Class-II, Bilaspur,
7. Ku. Vineeta Lawang, Ist Civil Judge Class-II, Raigarh,
8. Shri Rishi Kumar Barman, Civil Judge Class-II, Jashpurnagar,
9. Shri Thomas Ekka, 1st Additional Judge to Civil Judge Class-II, Surajpur,
10. Shri Daya Sindhu Ganveer, IVth Civil Judge Class-II, Jagdalpur,
11. Shri Devendra Nath Bhagat, IInd Additional Judge to Civil Judge Class-II, Surajpur,
12. Shri Pradeep Kumar Singh, Additional Judge to Civil Judge Class-II, Baloda Bazar,
13. Smt. Geeta Neware, IXth Civil Judge Class-II, Bilaspur,
14. Smt. Girija Devi Meravi, Additional Judge to Civil Judge Class-II, Rajnandgaon,
15. Ku. Prisilla Ekka, Xth Civil Judge Class-II, Raipur,
16. Shri Shailesh Kumar Ketarap, IInd Civil Judge Class-II, Ambikapur,
17. Shri Prabodh Toppo, IXth Civil Judge Class-II, Durg,
18 Shri Srinarayan Singh, XIth Civil Judge Class-II, Raipur.

2. As intimated by Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur, the above named Civil Judges are directed—

(a) that they will take with them the following Bare Acts or Acts with Commentary :—

(i) M. P. Civil Courts Act, 1958,
(ii) M. P. Civil Court Rules, 1961,
(iii) M. P. Rules and Orders (Criminal),
(iv) Indian Penal Code,
(v) Code of Criminal Procedure,
(vi) Code of Civil Procedure,
(vii) Evidence Act,
(viii) Fiscal Laws,
(ix) A book on jurisprudence, if available.

(b) that every Civil Judge Class-II shall send, well in advance, copies of order sheets commencing from the date of institution of the suit till the date when decree is signed. It may not be from one file only, but the order sheets may be assorted from different files. They should be consolidated so as to demonstrate the progress of a suit from the first order sheet to the last order sheet. Same should be done in respect of criminal cases. Only one set of order sheet of civil and criminal cases be sent. It is further directed that copy of issues framed in one civil suit, and copy of charge framed in one criminal case be also sent.

(c) that the Judges shall take with them at least 3 quires of white paper, two file covers with laces, and a register for taking down notes and also for doing home work which may be given to them during the training period.

(d) that the Judges shall attend the Training Institute in prescribed uniforms *i.e.*, black coat and black tie (not bands).

3. The Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur has intimated that efforts shall be made by him for lodging the Judges in Hotel Kalchury. He has also informed that the Judges, in order to avoid any inconvenience, should procure reservation in railway trains for their return journey well in advance.

4. The Director, Judicial Officers' Training Institute, Jabalpur has also intimated that the training periods shall daily commence at 10.30 a.m. and shall end at 5.00 p.m. except on the last day when it will commence at 9.30 a.m. and end at 1.30 p.m.

Bilaspur, the 18th October 2001

No. 4675/II-15-21/2001.—The posting order of the following retired District Judges/Addl. District Judges issued *vide* High Court Order No. 1160/II-15-21/2001 dated 28-3-2001 on their re-appointment *vide* Law & Legislative Affiars Deptt. Order No. D-Q/21-B/(C.G.)/2001 dated 26-3-2001 is hereby cancelled in view of cancellation of their re-appointment orders *vide* Law & Legislative Affairs Department Order No. 5096/2078/21-B/C.G./2001 dated 3-10-2001.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted at (3)	Sessions Division (4)	Remarks (5)
1.	Shri N. P. Mehar	Mungeli	Bilaspur	As III Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Shri R. K. Sharma	Korba	Bilaspur	As III Additional District & Sessions Judge.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2001

क्रमांक 4903/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत होने वाले दाण्डिक मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक दण्डाधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	विशेष द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारीयत व जिला (4)
1.	श्रीमती नीता यादव	दुर्ग	दुर्ग एवं राजनांदगांव

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना (जहां तक उसका संबंध दुर्ग पर नियुक्ति से है) को निरस्त की जाती है.

Bilaspur, the 1st November 2001

No. 4903/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate Specified in Column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) *vide* Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdiction Specified in the corresponding entries in column No. (4) of the said schedule with headquarter at the place shown in corresponding entries in column No. (3) thereof, to try cases relating to offences punishable under Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULED

Sl. No. (1)	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Areas (4)
1.	Smt. Neeta Yadav	Durg	Durg & Rajnandgaon

The earlier High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification (so for as it relates to appointment of Second Judicial Magistrate First Class, Durg) is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2001

क्रमांक 4905/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत होने वाले दाण्डिक मामलों का विचारण कने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक दण्डाधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	विशेष द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारीयत व जिला (4)
1.	श्री आर. के. अग्रवाल	रायपुर	रायपुर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना (जहां तक उसका संबंध रायपुर पर नियुक्ति से है) को निरस्त की जाती है.

Bilaspur, the 1st November 2001

No. 4905/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate Specified in Column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) *vide* Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdiction Specified in the corresponding entries in column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entries in column No. (3) thereof, to try cases relating to offences punishable under Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULED

Sl. No. (1)	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Areas (4)
1.	Shri R. K. Agrawal	Raipur	Raipur

The earlier High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification (so for as it relates to appointment of Second Judicial Magistrate First Class, Raipur) is hereby cancelled.

Bilaspur, the 5th November 2001

No. 4931/II-15-21/2001.—On the recommendation of 11th Finance Commission the High Court of Chhattisgarh hereby transfer the following Additional District Judge from Column No. (3) to Column No. (4) in the Fast Track Court established in the State of Chhattisgarh Government and on his appointment vide law & Legislative Affairs Department, Raipur Order No. D-Q/21-B (C. G.)/2001 dated 26-3-2001 and post him as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date he assumes Charge of his duties, viz.

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court of Chhattisgarh hereby appoints the following Additional District Judge as Additional Section Judge for the Sessions division specified against his respective name in column No. (5) of the table below, viz :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Session Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri M. A. Farooqui	Jashpurnagar	Bemetara	Durg	Third Additional District and Sessions Judge, (F.T.C.).

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. Jha, Registrar General.